न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 3 / 2013

राज.सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–निहाल पुत्र रामचंद

2–भिक्की पुत्र रामचंद मृतक

2 / 1–अमरसिंह पुत्र भिक्की

2 / 2–विजयसिंह (मृतक) पुत्र भिक्की

2 / 2 / 1वासुदेव पुत्र विजयसिंह

2 / 3–रामवीर सिंह पुत्र भिक्की

2 / 4–मायादेवी पत्नी स्व0 दीवानसिंह

2 / 5–लोकेश कुमार पुत्र दीवानसिंह

2 / 6–पवन कुमार पुत्र दीवानसिंह

3– राधेसिंह पुत्र रामचन्द

जाति जाट निवासी बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरेन्स अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956 ग्राम बांसीखुर्द की आरजी खसरानं0 साविक 458 मि0 रवका 1बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर का बिना नामान्तरण के दी गई खातेदारी निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

1–श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय **दिनांक 08.05.2019**

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्बत 2012 एवं 2015 ग्रांम बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर 458 रकवा 6 बीघा 2 विस्वा किस्म जमीन गैर मुमकिन पोखर मकबूजा मालकान सरकारी खाते में दर्ज रिकार्ड है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आती है। यह साविक जमाबन्दी सम्वत 2020 लगाय 2013 में साविक खसरा नं0 458 रकवा 6 बीघा 2 विस्वा गैर मुमकिन पोखर मकबूजा मालकान में से 458 मिन 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी गण को बिना किसी नामान्तकरण और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सीधे ही जमाबन्दी खातासंख्या 151 पर खैर खातेदार दर्ज कर दिया गया एवं पोखर का रकवा 4 बीघा 12 बिस्वा ही शेष बचा है। इस प्रकार बिना किसी आदेश के गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर दी गई खातेदरी नियम विरूद्व एवं निरस्त योग्य है। यह कि हाल भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा ग्राम बांसी खुर्द के साविक खसरा नम्बर 458 रकवा 6 बीघा 2 विस्वा हाल खसरा नं 249 रकवा 0.60 एवं 249/1107 रकवा 0.32 हैक्टेयर बनाये गये हैं। इस प्रकार गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर साविक खसरा नम्बर 458 रकवा 6 बीघा 2 विस्वा से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी देने वाली भूमि के खसरा नं 249/1107 रकवा 0.32 हैक्ट बनाये जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी में सीधे ही दर्ज कर दिए गए है। इसके अलावा खसरा नम्बर 458 मि0 रकवा 4.12 विस्वा के पेटे बने हाल खसरा नं0 249 रकवा 0.60 कर रकबा भी साविक रकवा यानि कनवर्ड के बाद 0.74 आना चाहिए था। जो कि कमी की जाकर 0.7 हैक्टेयर गैर मुमकिन पोखर दर्ज किया गया है। रकवा हाल खसरा नं0 249/1107 में शामिल कर 1 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले 2 बीघा के बराबर दिया गया है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग का यह कृत्य गलत है। जो काबिले निरस्ती है।

आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के इस आराजी का आंवटन नहीं किया जा सकता है। यह रेफरेन्स प्रकरण रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकर की पालना में जलोद भूमि गैर मुमकिन पोखर की सन् 1955 की स्थिति वहाल करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अवैध आवंटन खतेदारी एवं विरासत के नामानतकरण संख्या साविक 458 मि0 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नं0 संख्या 249 /1107 हकत्याग/विरासत शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक अनुपस्थित। अप्रार्थी सं.1 लगायत 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। योग्य अभिभाषक सरकार पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 458 मिन रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 249 / 1107 है0 पोखर का रकवा है। खसरा नम्बर 458 मिन 1 बीघा पोखर को अप्रार्थी 1 लगायत 3 तक को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। जो नियमों के खिलाफ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के ऐसी भूमियों का आंबटन नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में भी ऐसी भूमियों पर अगर खातेदारी देदी गई है तो वापिस पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की व्यवस्था दी गई है की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर गैर मुमकिन पोखर है जिस पर नियम विरुद्व किया आबटन एवं उस पर किये गैर खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराया जाना आवश्यक है। गलत आदेश के विरुद्व कभी भी रेफरेन्स किया जासकता है। राजकीय अभिभाषक ने हमारा ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ – 10 राज–6 / 2001 / 7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है चारागाह भूमियों / जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) **और तालाबों** (ponds) **की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे** आकर्षित करते हुये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमांबदी सम्वत 2012–2015, बाके ग्रांम बांसीखुर्द तहसील भरतपुर में गत खसरा नम्बर 458 मि. गैरमुमकिन पोखर दर्ज है। इसके पश्चात साविक जमाबन्दी ग्राम बांसीखुर्द सम्वतृ 2016 लगाय 2019 में भी 458 मि. गैरमुमकिन पोखर दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग ने गत आराजी खसरा नम्बर 458 मिन रकवा 1बीघा का नया नम्बर 249 / 1107 बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एव राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंबटन नियम 1970 के नियम 4 के ऐसी भूमियों को किसी प्रकार आबंटन नहीं किया जा सकता है। नकल नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 07.7.1958 के कॉलम नम्बर 16 में हो रहे आंबटन आदेश के अंकन के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 458 मिन रकवा 6 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर अप्रार्थी 1 लगायत 3 निवासी बांसीखुर्द के नाम स्वीकृत हुआ है।

.....3

रेफरेन्स/3/2013
तहसीलदार भरतपुर बनाम रामफल वगे0

अप्रार्थी0 को विरासतन गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकार किया गया है। गैर खातेदारी, खातेदारी एवं इसके बाद खोले गये विरासतन से खोले गये/स्वीकार किये सभी नामान्तकरण विधि विरुद्व होने से काबिल खारिज के रहते हैं। विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी. कोई रिलीफ पाने के हकदार नहीं रहते हैं। प्रकरण रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार की पालना, एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–10 राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में जलोद भूमि गैर मुमकिन पोखर की सन् 1955 की स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि साविक खसरा नम्बर 458 मिन रकवा 6बीघा 2 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 249/1107 1 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन पोखर ग्राम बांसीखुर्द ,तहसील भरतपुर पर अवैध इन्द्राज कर खातेदारी एवं विरासत के नामान्तकरण संख्या 16 निरस्त किये जाकर विवादित आराजी को पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं अप्रार्थीगण के नाम को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाकर पूर्व की भांति विवादित आराजी को गैर मुमकिन पोखर ग्राम बांसीखुर्द तहसील भरतपुर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की आज्ञा दी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 14–06–2019 को उपस्थित हों । निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर